UPBJ010031792026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–910/2026

मु0अ0सं0–884/2025
धारा–351(2),352 बी0एन0एस0 व
3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–कोतवाली शहर, जिला बिजनौर।

दिनांक–25–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **पुष्कर उर्फ ईशू** व **विशाल उर्फ बोवी** की ओर से मुकदमा अपराध सं0 884/2025 अन्तर्गत धारा 351(2),352 बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। वादी मुकदमा भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उसे भी सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में वादी मुकदमा प्रिंस कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थी ग्राम सरवनपुर थाना नजीबाबाद का रहने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी के पिता जिला पंचायत सदस्य है। करीब 6 माह पूर्व प्रार्थी की विपक्षीगण पुष्पेन्द्र उर्फ ईशू पुत्र कपिल सिंह निवासी सडियापुर व विशाल उर्फ बोवी पुत्र सुशील निवासी स्वाहेडी से महिन्द्रा ऐजेन्सी के पास गाडी हटाने के लिए नोक झोक हो गयी थी। जिससे ये रंजिश मान गये थे। दिनांक 16–10–2025 को समय करीब 12:10 बजे प्रार्थी अपने पिता के साथ गाडी से बिजनौर आ रहा था। जैसे ही हमारी गाडी सेन्ट मैरी स्कूल के पास आयी तो पीछे से काले रंग की स्कार्पियो मेरी गाडी के पीछे लगा दी। प्रार्थी की गाडी विकास भवन पर रूकी तो उक्त गाडी में से पुष्पेन्द्र उर्फ ईशू, विशाल उर्फ बोवी व 5 अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी की गाडी के पास आये और जबरन गेट खुलवाना चाहा। गेट नहीं खोला तो अपने हाथो में लिए नुकीले लोहे के सरियो से प्रार्थी की गाडी के शीशो पर बरसाने लगे तथा एक शीशा तोडकर जन

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.28 16:31:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से मारने की नियत से गला घोटने लगे तभी प्रियांशु ने गाडी भगा दी। धमकी दे रहे थे कि साले चमट्टे तुझसे हमने पहले की कह दिया था कि बिजनैर मत दिखाई देना तू नहीं माना आज भी बच गया आईन्दा मौका मिलने पर जान से मार देंगे। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली शहर में प्राथमिकी मु0अ0सं0 884/2025 अन्तर्गत धारा 191(1),191(2),351(2),324(4) बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस0सी0,एस0टी0 एक्ट, अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 351(2), 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एस0सी0,एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वे निर्दोष हैं। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। तथाकथित घटना का कोई मोटिव नही बताया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त कथनों के साथ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा द्वारा जमातन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण पर वादी को जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नही किया गया था उन्हें थाने से धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस छोडा गया था। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत के दुरूपयोग का कोई तथ्य नहीं लाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज वादी मुकदमा ने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अभियुक्तगण की जमानत पर कोई आपत्ति न होने का कथन किया। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थां कि0 अपील सं0 838/2021 सिद्धार्थ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16–08–2021 एवं सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 मिस0 अपील डायरी नं0 1849 सन 2021 एस.एल.पी. (क्रिम0) 5191/2021 निर्णय दिनॉकित 11.07.2022, दाताराम सिहॅ बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 22,माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या सी0एल0 नं0**

11 /2023 /एडमिन जी–II दिनॉकित इलाहाबाद 27.04.2023 के आलोक में अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **पुष्कर उर्फ ईशू** व **विशाल उर्फ बोवी** का उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अंकन 20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) की धनराशि के दो–दो जमानती तथा समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी/एस.टी(पी.ए.)एक्ट, बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06074